03-03-2020

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 CPC के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि न्यायालय हाजा में अपील उनवानी भगवानसिंह व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति ग्राम पंचायत मई तह० नदबई बनाम जिला रसद अधिकारी भरतपुर विचाराधीन थी जिसमें तारीख पेशी 04-06-2018 को न्यायालय में हाजिर हुआ था किन्तु प्रार्थी का अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह अपने अभिभाषक को बिना बताए घर चला गया। दिनांक 06-11-18 को न्यायालय में आने पर ज्ञात हुआ कि उक्त अपील दिनांक 04-06-2018 को ही अदम पैरवी में खारिज की जा चुकी है। अपीलान्ट अपनी अपील की पैरवी काफी गम्भीरता से करता चला आ रहा है। अगर उक्त अपील को पुनः रेस्टोर नहीं किया गया तो अपील करने का मकसद समाप्त हो जावेगा और अपीलान्ट को काफी क्षति होगी तथा वह अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जावेगा। प्रार्थी द्वारा अपील को पुनः नम्बर पर लेने की प्रार्थना की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर गौर किया। प्रार्थी को न्यायालय द्वारा कई बार आवाज लगाने के बाद भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ इस कारण दिनांक 04-06-2018 को विचाराधीन अपील अदम हाजिरी व अदम पैरवी में अपील खारिज की गई है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं की गई है जो उसके प्रार्थना पत्र में चाहे गए अनुतोष का समर्थन करता हो। अपील दिनांक 04-06-2018 को खारिज हुई है जिसे पुनः नम्बर पर लेने हेतु यह प्रार्थना पत्र भी मियाद बाहर पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पुनः नम्बर पर लिए जाने अपील खारिज किया जाता है।

(हस्ताक्षर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.03.19 14:46:52 IST
Reason: SelfAttested